श्रीमान न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी 3282-PBR)/15

शंकर सिंह राजपूत आयु 60 वर्ष
आ0 हरप्रसाद राजपूत निवासी ग्राम
सांडिया तह. व थाना पिपरिया
जिला होशंगाबाद ....निगरानीकर्ता

बनाम

प्रेमकुमार आयु 59 वर्ष
आ. हरिसिंह गोयदानी(अविकसित मस्तिष्क)
द्वारा नवनीत गोयदान आ. हरिसिंह गोयदानी
निवासी ग्राम खपरखेडा तह. पिपरिया
जिला होशंगाबाद ....उत्तरवादी

श्री दिवाकर दीक्षित
द्वारा आज दि. 8-10-15 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता</u>

उपरोक्त निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया द्वारा प्र.क. 23अ-6 वर्ष 14-15 ग्राम देवगांव में पारित आदेश दिनांक 26.5.15 जिसकी जानकारी दिनांक 9.9.15 को होने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन क. 15829/2015 में दिये गये निर्देश दिनांक 21.9.15 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 26.9.15 को प्राप्त होने पर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर श्रीमान इस न्यायालय की ओर प्रस्तुत करता है।

1. यह कि उत्तरवादी द्वारा माननीय निम्न न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक अपील देवगांव पिपरिया स्थित परिवर्तित भूमि ख.नं. 34/5 प्लाट नं. 24 में पारित संशोधन क्र. 124/667 दिनांक 28.12.92 तथा प्रमाणीकरण दिनांक 12.1.93 से परिवेदित होकर 15 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की जिसमें उत्तरवादी/अपीलार्थी का कोई हित व स्वत्व न होने के पश्चात् भी हितबद्ध न होने के बाद भी अपील में बाढयिक मालिक निगरानीकर्ता को सुने बिना उक्त संशोधन के विरूद्ध धारा 5 का आवेदन दिनांक 26.5.15 को स्वीकार किया उसके पश्चात भी प्रकरण में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट की सुनवाई हेतु प्रकरण नियत किया जाता रहा जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 9.5.15 को निवेदन करने पर उसे निराकृत किया गया जिसके लिये निगरानीकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3282-पीबीआर/15 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	